संख्या-21/2015/935/क0नि0प्र0/26-3-2015-14(50)/2014 टीसी

प्रेषक,

दीनानाथ
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, **लखनऊः दिनांकः 07 अगस्त, 2015**
समाज कल्याण विभाग

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-255/क0नि0प्र0/26-3-2015-14(50)/2014 टीसी दिनांक 04 मार्च ,2015 के क्रम में आपके पत्र सं0-574/स0क0/विकास/29,30,31/अनुसूचित जाति सब प्लान/2015-16, दिनांक 30 जुलाई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना में जनपद गोण्डा के विकास खण्ड-बेलसर के ग्राम खडौरा, जमल्दीपुर तथा भिखारीपुर कलॉ के अवशेष कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष रू0 2,36,58,000/- (रू0 दो करोड़ छत्तीस लाख अट्ठावन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरणानुसार स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद- गोण्डा

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	आवंटित की जा रही धनराशि
1	बेलसर	खडौरा	मेठिया मुख्य सड़क से खडौरा तक लेपन स्तर तक निर्माण कार्य (लम्बाई-1.24 कि¬.मी.)	99.44	21.00	78.44
2	बेलसर	जमल्दीपुर	डिडिसिया पक्की सड़क से जमल्दीपुर तक लेपन स्तर का निर्माण कार्य (लम्बाई-1.27 कि.मी.)	99.72	20.35	79.37
3	बेलसर	भिखारीपुर कला	रतनपुर मुख्य मार्ग से भिखारीपुर कला तक लेपन स्तर का निर्माण कार्य (लम्बाई-1.275 कि.मी.)	99.77	21.00	78.77
			योग-	**298.93**	**62.35**	**236.58**

(रू0 दो करोड़ छत्तीस लाख अट्ठावन हजार मात्र)

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि यथाशीघ्र जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) गोण्डा को योजना के अवशेष कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु आवंटित की जायेगी और इनके द्वारा औपचारिकता पूर्ण कराकर धनराशि निर्माण इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना हेतु निर्धारित दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-664/क0नि0प्र0/26-3-2014-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13(62)/2013 दिनांक 24 सितम्बर, 2014 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

5- प्रश्नगत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

6- संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

7- स्वीकृत की जा रही परियोजना की लागत में सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र में कार्य के प्रगति/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स इत्यादि जनपद के लोक निर्माण विभाग के जनपदीय वरिष्ठ अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर सदुपयोग प्रमाण-पत्र देना सुनिश्चित किया जायेगा।

10- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

दीनानाथ
अनु सचिव

पृ.संख्या- 21/2015/935(1)/क0नि0प्र0/26-3-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- जिलाधिकारी, गोण्डा।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गोण्डा।
4- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), गोण्डा।
6- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गोण्डा।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
8- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

दीनानाथ
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।